

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	27-02-2026 15:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	27-02-2026 15:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Uttar Pradesh
विभाग का नाम/Department Name	Medical Health And Family Welfare Department Uttar Pradesh
संगठन का नाम/Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम/Office Name	Cmo Office, Sant Kabir Nagar
वस्तु श्रेणी /Item Category	Financial Audit Services - Con Current audit Work As Per RFP; CAG Empaneled Audit or CA Firm
अनुबंध अवधि /Contract Period	6 Month(s)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	1 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
इसी तरह की सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव है/Past Experience of Similar Services required	Yes
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

बिड विवरण/Bid Details

क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/ Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/ Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/ Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय / Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित बिड मूल्य / Estimated Bid Value	216000
मूल्यांकन पद्धति/ Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/ Arbitration Clause	No
सुलह खंड/ Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes
-------------------------------	-----

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

No

1. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

2. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -

1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or

2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or

3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required

Financial Audit Services - Con Current Audit Work As Per RFP; CAG Empaneled Audit Or CA Firm (1)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Scope of Work	Con Current audit Work As Per RFP
Type of Financial Audit Partner	CAG Empaneled Audit or CA Firm
Type of Financial Audit	con curreent audit 2023-24 2024-25as per rfp
Category of Work under Financial Audit	As Per RFP
Type of Industries/Functions	As Per RFP
Frequency of Progress Report	As Per RFP
MIS Reporting for Financial Audit support	Yes
Frequency of MIS reporting	As Per RFP
State	NA
District	NA

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
एडऑन /Addon(s)	
Post Financial Audit Support	NA

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	No
--	----

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	Quantity	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Ram Ratan	272175,CMO OFFICE, BARGO, KHALILABAD	Project / Lumpsum Based	N/A

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

Con-Current audit Work 2023-24 & 2024-25 as per RFP uploaded

3. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and

conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
16. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
17. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**

- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the [सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions](#), conditions stipulated in Bid and [Service Level Agreement](#) specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---



राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ.प्र.

16, एनपी० सेन रोड, मण्डी परिवार भवन, चारबाग, लखनऊ

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आडिट कमेटी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 526/एन०एच०एम०/एस०पी०एम०यू०/काआडिट/2025-26/44197-2 दिनांक 31-10-2024
विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त Operational Guidelines for Financial Management में जिला आडिट कमेटी (DAC) के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या एन०आर०एच०एम०/एस०पी०एम०यू०/काआडिट/ 2012-13/174/583 दिनांक 25.06.12 के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला आडिट कमेटी (DAC) का गठन किया जा चुका है। Operational Guidelines for Financial Management में राज्य आडिट कमेटी (SAC) एवं जिला आडिट कमेटी (DAC) के कार्यों एवं दायित्वों का पूर्ण उल्लेख किया गया है। जिला आडिट कमेटी (DAC) के कार्यों एवं दायित्वों में जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर के चयन के सम्बन्ध में 'Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee)' प्रावधान है।

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (ल० उ०) 2016 दिनांक 26 नवम्बर 2024 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में समस्त क्रय/निविदा प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से संचालित की जानी है। तत्कम में जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन जेम पोर्टल से किया जाना है, परन्तु जेम पोर्टल पर फाइनेंसियल ऑडिट सेवा कटेगरी के अन्तर्गत कान्करेंट ऑडिट की सेवा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (ल० उ०) 2016 दिनांक 26 नवम्बर 2024 के बिन्दु संख्या 13 में उचित व्यवस्था 'क्रेता को वांछित वस्तु/सेवा पोर्टल पर उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रेता कस्टम/BOQ बिड (यदि जेम पोर्टल पर अनुज्ञप्त हो) के विकल्प का चयन कर सकते हैं। कस्टम/BOQ बिड सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/ महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से अनुमोदन लेने के उपरान्त ही पोर्टल पर फ्लोट की जायेगी। कस्टम/BOQ बिड प्रकाशित होने के 03 दिन के अन्दर बिड के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति दी जाये तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की प्रति तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रस्तुत की जायेगी।' के अनुसार जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन जेम पोर्टल से किया जाये। समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के बिल का भुगतान एफ०एम०आर० मद संख्या 194.54 (Concurrent Audit & other related expenditure) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपदों को आवंटित बजट से SNA-स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध लिमिट से नियमानुसार किया जायेगा।

समस्त जनपदों में कान्करेंट ऑडिटर का चयन समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने एवं राज्य आडिट कमेटी की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किये जाने के लिए जेम पोर्टल पर बिड प्रकाशन, तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित तिथियाँ निर्धारित की जा रही हैं :-

क्र०सं०	विवरण	तिथि	समय
1.	Bid Start Date / Time	10.11.2025	01.00 PM
2.	Bid End Date / Time	28.11.2025	01.00 PM
3.	Bid Opening Date / Time	26.11.2025	04.00 PM
4.	Technical Evaluation	05.12.2025

उपरोक्त तालिका में इंगित दिनांक पर समयबद्ध तरीके से बिड से सम्बंधित कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाये। यदि अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांक पर कार्यवाही नहीं पूर्ण की जा पाती है तो जनपद अगले कार्य दिवस पर स्वयं के स्तर से निर्णय लेकर कार्यवाही पूर्ण कर लें। अग्रतर अवगत कराना है कि समस्त जनपदों को बिड अपलोड करने से पूर्व आर०एफ०पी० के पैरा संख्या 3.1 के बिन्दु संख्या 5 में Concurrent/Internal/Statutory Audit Experience की Value को भरना है, जिसे संलग्नक - 1 में दिया जा रहा है तथा पैरा संख्या 3.1 के बिन्दु संख्या 7 में Average Annual Financial Turnover को भरना है, जिसे संलग्नक - 2 में दिया जा रहा है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन किये जाने के लिए उक्त वर्षों की आर०एफ०पी० इस निर्देश के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि जेम पोर्टल पर उपरोक्त तालिका में इंगित तिथियों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आर०एफ०पी० में दिये गये प्राविधानों के अनुसार एल 1 बिडर को घयन किये जाने की जिला ऑडिट कमेटी की संस्तुति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे की राज्य ऑडिट कमेटी/अध्यक्ष राज्य ऑडिट कमेटी से जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर के चयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकें।
संलग्नक-यथोक्त!

भवदीया,


30/10/25
(डा० पिकी जोवल)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक-526/एन०एच०एम०/एस०पी०एम०यू०/का.आडिट/2025-26/
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं मण्डलीय लेखा प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कार्यालय, उत्तर प्रदेश।

(बृजबिहारी कुशवाहा)
वित्त नियंत्रक, एन०एच०एम०



राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ.प्र.
16, ए०पी० सेन रोड, गण्डी परिवर्षद भवन, धारवाग, लखनऊ

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आडिट कमेटी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 526/एन०एच०एम०/एस०पी०एम०यू०/का.आडिट/2025-26/
विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त Operational Guidelines for Financial Management में जिला आडिट कमेटी (DAC) के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या एन०आर०एच०एम०/एस०पी०एम०यू०/का.आडिट/2012-13/174/583 दिनांक 25.06.12 के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला आडिट कमेटी (DAC) का गठन किया जा चुका है। Operational Guidelines for Financial Management में राज्य आडिट कमेटी (SAC) एवं जिला आडिट कमेटी (DAC) के कार्य एवं दायित्वों का पूर्ण उल्लेख किया गया है। जिला आडिट कमेटी (DAC) के कार्य एवं दायित्वों में जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर के चयन के सम्बन्ध में 'Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee)' प्रावधान है।

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (ल० उ०)-2016 दिनांक 26 नवम्बर 2024 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में समस्त क्रय/निविदा प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जानी है। तत्क्रम में जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन जेम पोर्टल से किया जाना है, परन्तु जेम पोर्टल पर फाइनेंसियल ऑडिट सेवा कटेगरी के अन्तर्गत कान्करेंट ऑडिट की सेवा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (ल० उ०)-2016 दिनांक 26 नवम्बर 2024 के बिन्दु संख्या 13 में इगित व्यवस्था 'क्रैता को वाछित वस्तु/सेवा पोर्टल पर उपलब्ध न होने की स्थिति में कस्टम/BOQ बिड सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/ महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से अनुमोदन लेने के उपरान्त ही पोर्टल पर फ्लोट की जायेगी। कस्टम/BOQ बिड प्रकाशित होने के 03 दिन के अन्दर बिड के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित दी जाये तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस, विज्ञापित की प्रति तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रस्तुत की जायेगी।' के अनुसार जनपदीय कान्करेंट ऑडिटर का चयन जेम पोर्टल से किया जाये। समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित के बिल का भुगतान एफ०एम०आर० मद संख्या 194.54 (Concurrent Audit & other related expenditure) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपदों को आवंटित बजट से SNA-स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध लिमिट से नियमानुसार किया जायेगा।

समस्त जनपदों में कान्करेंट ऑडिटर का चयन समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने एवं राज्य आडिट कमेटी की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किये जाने के लिए जेम पोर्टल पर बिड प्रकाशन, तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित तिथियाँ निर्धारित की जा रही हैं :-

क्र०सं०	विवरण	तिथि	समय
1.	Bid Start Date / Time	10.11.2025	01.00 PM
2.	Bid End Date / Time	26.11.2025	01.00 PM
3.	Bid Opening Date / Time	26.11.2025	04.00 PM
4.	Technical Evaluation	05.12.2025	-----

उपरोक्त तालिका में इंगित दिनांक पर समयबद्ध तरीके से विंड से सम्बंधित कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाये। यदि अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांक पर कार्यवाही नहीं पूर्ण की जा पाती है तो जनपद अगले कार्य दिवस पर रव्य के स्तर से निर्णय लेकर कार्यवाही पूर्ण कर ले। अग्रतर अवगत कराना है कि समस्त जनपदों को विंड अपलोड करने से पूर्व आर०एफ०पी० के पैरा संख्या 3.1 के बिन्दु संख्या 5 में Concurrent/Internal/Statutory Audit Experience की Value को भरना है, जिसे संलग्नक - 1 में दिया जा रहा है तथा पैरा संख्या 3.1 के बिन्दु संख्या 7 में Average Annual Financial Turnover को भरना है, जिसे संलग्नक - 2 में दिया जा रहा है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु जनपदीय कांन्करेंट ऑडिटर का वयन किये जाने के लिए उक्त वर्षों की आर०एफ०पी० इस निर्देश के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि जेम पोर्टल पर उपरोक्त तालिका में इंगित तिथियों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आर०एफ०पी० में दिये गये प्राविधानों के अनुसार एल 1 विंडर को वयन किये जाने की जिला ऑडिट कमेटी की संस्तुति अधोस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे की राज्य ऑडिट कमेटी/अध्यक्ष राज्य ऑडिट कमेटी से जनपदीय कांन्करेंट ऑडिटर के वयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त!

भवदीया,

(डा० पिकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांक - 526 / एन०एच०एम० / एस०पी०एम०यू० / का.आडिट / 2025-26 / 14/19-9 [6] दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहाय्य, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं मण्डलीय लेखा प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कार्यालय, उत्तर प्रदेश।



(बृजबिहारी कुशवाहा)
वित्त नियंत्रक, एन०एच०एम०

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपद वार ब्लॉकों की संख्या	जनपदवार वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बजट / Estimated बिड मूल्य	Concurrent / Internal/ Statutory Audit Experience के किसी एक प्रोजेक्ट का न्यूनतम मूल्य 80% of Estimated bid value	Concurrent / Internal/ Statutory Audit Experience के किसी दो प्रोजेक्ट का प्रति प्रोजेक्ट न्यूनतम मूल्य 50% of Estimated bid value	Concurrent / Internal/ Statutory Audit Experience के किसी तीन प्रोजेक्ट का प्रति प्रोजेक्ट न्यूनतम मूल्य 40% of Estimated bid value
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	15	288000	230400	144000	115200
2	अलीगढ़	12	252000	201600	126000	100800
3	प्रयागराज	20	348000	278400	174000	139200
4	अम्बेडकरनगर	9	216000	172800	108000	86400
5	अमेठी	13	264000	211200	132000	105600
6	अमरोहा	6	180000	144000	90000	72000
7	औरैया	7	192000	153600	96000	76800
8	आजमगढ़	22	372000	297600	186000	148800
9	बागपत	6	180000	144000	90000	72000
10	बहराईच	14	276000	220800	138000	110400
11	बलिया	17	312000	249600	156000	124800
12	बलरामपुर	9	216000	172800	108000	86400
13	बौदा	8	204000	163200	102000	81600
14	बाराबंकी	15	288000	230400	144000	115200
15	बरेली	15	288000	230400	144000	115200
16	बस्ती	14	276000	220800	138000	110400
17	बिजनौर	11	240000	192000	120000	96000
18	बदायूँ	15	288000	230400	144000	115200
19	बुलन्द शहर	16	300000	240000	150000	120000
20	सन्तौली	9	216000	172800	108000	86400
21	चित्रकूट	5	168000	134400	84000	67200
22	देवरिया	16	300000	240000	150000	120000
23	एटा	8	204000	163200	102000	81600

nikes VG

24	इटावा	8	204000	163200	102000	81600
25	अयोध्या	11	240000	192000	120000	96000
26	फर्रुखाबाद	7	192000	153600	96000	76800
27	फतेहपुर	13	264000	211200	132000	105600
28	फिरोजाबाद	9	216000	172800	108000	86400
29	जी०बी० नगर	4	156000	124800	78000	62400
30	गाजियाबाद	4	156000	124800	78000	62400
31	गाजीपुर	16	300000	240000	150000	120000
32	गोण्डा	16	300000	240000	150000	120000
33	गोरखपुर	19	336000	268800	168000	134400
34	हमीरपुर	7	192000	153600	96000	76800
35	हापुड	4	156000	124800	78000	62400
36	हरदोई	19	336000	268800	168000	134400
37	हाथरस	7	192000	153600	96000	76800
38	जालौन	9	216000	172800	108000	86400
39	जौनपुर	21	360000	288000	180000	144000
40	झांसी	8	204000	163200	102000	81600
41	कन्नौज	8	204000	163200	102000	81600
42	कानपुर देहात	10	228000	182400	114000	91200
43	कानपुर नगर	10	228000	182400	114000	91200
44	कासगंज	7	192000	153600	96000	76800
45	कौशाम्बी	8	204000	163200	102000	81600
46	कुशीनगर	14	276000	220800	138000	110400
47	लखीमपुर खीरी	15	288000	230400	144000	115200
48	ललितपुर	6	180000	144000	90000	72000
49	लखनऊ	8	204000	163200	102000	81600
50	महाराजगंज	12	252000	201600	126000	100800
51	महोबा	4	156000	124800	78000	62400
52	मैनपुरी	9	216000	172800	108000	86400
53	मथुरा	10	228000	182400	114000	91200
54	मउ	9	216000	172800	108000	86400
55	मेरठ	12	252000	201600	126000	100800
56	मिर्जापुर	12	252000	201600	126000	100800

[Handwritten signature]

57	मुरादाबाद	8	204000	163200	102000	81600
58	मुजफ्फरनगर	9	216000	172800	108000	86400
59	पीलीभीत	7	192000	153600	96000	76800
60	प्रतापगढ़	17	312000	249600	156000	124800
61	रायबरेली	18	324000	259200	162000	129600
62	रामपुर	6	180000	144000	90000	72000
63	सहारनपुर	11	240000	192000	120000	96000
64	सम्भल	8	204000	163200	102000	81600
65	संत कबीरनगर	9	216000	172800	108000	86400
66	संत रविदास नगर	6	180000	144000	90000	72000
67	शाहजहाँपुर	15	288000	230400	144000	115200
68	शामली	5	168000	134400	84000	67200
69	सिद्धार्थनगर	14	276000	220800	138000	110400
70	सीतापुर	19	336000	268800	168000	134400
71	सोनमद्र	8	204000	163200	102000	81600
72	श्रावस्ती	5	168000	134400	84000	67200
73	सुल्तानपुर	13	264000	211200	132000	105600
74	लन्नाद	16	300000	240000	150000	120000
75	पाराणरौी	8	204000	163200	102000	81600
	कुल योग	820	17940000	14352000	8970000	7176000

Alleg 

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपदवार वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बजट / Estimated बिड मूल्य	The minimum average annual financial turnover (30% of bid value) As per GEM guideline
1	आगरा	288000	86400
2	अलीगढ़	252000	75600
3	प्रयागराज	348000	104400
4	अम्बेडकरनगर	216000	64800
5	अमेठी	264000	79200
6	अगरोहा	180000	54000
7	औरैया	192000	57600
8	आजमगढ़	372000	111600
9	बागपत	180000	54000
10	बहराईच	276000	82800
11	बलिया	312000	93600
12	बलरामपुर	216000	64800
13	बौदा	204000	61200
14	बाराबंकी	288000	86400
15	बरेली	288000	86400
16	बस्ती	276000	82800
17	फिजौर	240000	72000
18	बदायूं	288000	86400
19	मुल्तान शहर	300000	90000
20	चन्दौली	216000	64800
21	मिर्जापुर	168000	50400
22	देवरिया	300000	90000
23	एटा	204000	61200
24	इटावा	204000	61200
25	अयोध्या	240000	72000
26	फर्रुखाबाद	192000	57600
27	फर्रुखापुर	264000	79200
28	फिरोजाबाद	216000	64800
29	जीएबीए नगर	156000	46800
30	गणजियाबाद	156000	46800
31	गाजीपुर	300000	90000
32	गोण्डा	300000	90000
33	गोरखपुर	336000	100800
34	हमीरपुर	192000	57600
35	हापुड़	156000	46800

Kishor

			100800
36	हरदोई	336000	57600
37	हाथरस	192000	64800
38	जालौन	216000	108000
39	जौनपुर	360000	61200
40	झांसी	204000	61200
41	कन्नौज	204000	68400
42	कानपुर देहात	228000	68400
43	कानपुर नगर	228000	57600
44	कासगंज	192000	61200
45	कौशांबी	204000	82800
46	कुरुीनगर	276000	86400
47	लखीमपुर खीरी	288000	54000
48	लजितपुर	180000	61200
49	लखनऊ	204000	75600
50	महाराजगंज	252000	46800
51	महोबा	156000	64800
52	मैनपुरी	216000	68400
53	मथुरा	228000	64800
54	मत्त	216000	75600
55	मेरठ	252000	75600
56	मिर्जापुर	252000	61200
57	मुरादाबाद	204000	64800
58	मुजफ्फरनगर	216000	57600
59	पीलीभीत	192000	93600
60	प्रतापगढ़	312000	97200
61	रायबरेली	324000	54000
62	रामपुर	180000	72000
63	सहारनपुर	240000	61200
64	सम्भल	204000	64800
65	संत कबीरनगर	216000	54000
66	संत रविदास नगर	180000	86400
67	शाहजहाँपुर	288000	50400
68	शामली	168000	82800
69	सिद्धार्थनगर	276000	100800
70	सीतापुर	336000	61200
71	सोनभद्र	204000	50400
72	श्रावस्ती	168000	79200
73	सुल्तानपुर	264000	90000
74	उन्नाव	300000	61200
75	वाराणसी	204000	5382000
	कुल योग	17940000	

Sharma 2



राज्य कार्यलय स्वास्थ्य इकाई
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, च.प्र.
दिशाल कामपौक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ
फोन नं.- 4522-2236394

सविश्वस्यपूर्ण / परस्पर

एनांक एन०आर०एम०एम० / एन०एम०एम०एम० / कालक आडिट / 2012-13 / 174 /

दिनांक जून १५, 2012

आदेश

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑपरेशनल माइंडलाइन्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वित्तीय वर्ष 2012-13 से राज्य स्तर के कान्क्रेट आडिट हेतु State Audit Committee (SAC) तथा जनपद स्तर के कान्क्रेट आडिट हेतु District Audit Committees (DAC) के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा कान्क्रेट आडिट हेतु प्रस्तावित SAC एवं DAC में आर्थिक सशोधन करते हुये राज्य स्वास्थ्य समिति की शर्ती निकाय द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.06.12 में निम्नलिखित यथासंशोधित SAC एवं DAC पर अनुमोदन प्रदान किया गया है :

State Audit Committee (SAC)

Person	Designation in Committee
Principal Secretary, MH&FW	Chairman
Divisional Commissioner, Lucknow	Member
Mission Director	Member
Director General, Medical & Health Services	Member
Director General, Family Welfare	Member
Representative from NDCP (atleast one) - one representative from NDCP may be nominated by DG,MH	Member
Finance Controller, MRHM	Member-secretary

The SAC should function under overall guidance of Principal Secretary (Health) at the State level. The SAC should meet atleast 4 times in a year. Also, a copy of minutes of the meetings of the SAC related to the appointment of auditors shall be sent to Principal Secretary -Health at the state level for concurrence purpose.

राज्य स्तर पर गठित State Audit Committee के Functions निम्नान्त है :

- Selection and appointment of the state concurrent auditors
- Issue of advertisement for appointment of District concurrent auditors
- Final concurrence for the appointment of District concurrent auditor
- Monitoring timely audits at the state and district level and timely submission of audit reports
- Discuss the key audit findings with state concurrent auditor and state finance manager and suggest appropriate actions
- Monitor whether adequate follow up action is being taken by the state finance personnel on the audit observations
- Authorize the payment of remuneration to the auditor (only after approving the Action Taken Report on the issues highlighted during the course of the audit)
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed and the renewal of the auditors' contracts, in case of reappointment.

District Audit Committee (DAC)

Person	Designation in Committee
District Magistrate of concerned district	Chairman
Senior Finance & Accounts Officer/ Finance & Accounts Officer	Member
District Account Manager	Member
Representative from NDCP (atleast one) - one representative from NDCP (may be nominated by DG,MH)	Member
Chief Medical Officer	Member-Secretary

The DAC should function under the guidance of Director (Finance) for Mission Director, where Director (Finance) is not available) at the state level. The DAC should meet at least 6 times in a year

जनपद स्तर पर गठित District Audit Committee के Functions निम्नवत् है:

- Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee)
- Monitoring timely audits at the district level and timely submission of audit reports
- Discussing the key audit findings with district concurrent auditor and district accounts manager and suggest appropriate actions
- Monitoring whether adequate follow up action is being taken by the district accounts manager on the audit observations
- Monitor whether ATR has been prepared by the DAM/ CMO and given to the auditor and whether the same has been vetted and sent by the auditor within the requisite time limit
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed with intimation to SAC
- Renewal of the auditors' contracts with intimation to SAC

उपर्युक्त गठित State Audit Committee (SAC) तथा District Audit Committee (DAC) का परचालन मण्डलवाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में वर्णित कार्यों का निर्वहन यथावत करेंगे।

(सुकोमा कुमार् बेशर्मा)
मिशन निदेशक

पत्रांक एन०आर०एच०एच०/एन०पी०एच०एच०/आडिट/२०१०-११/१७४/२०१०

तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. मण्डलवाइन्स लखनऊ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, सोप्रो।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि राज्य तथा प्रत्येक जनपदीय आडिट कमेटी हेतु एन०डी०सी०पी० से एक प्रतिनिधि को नामित करने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक तथा विस्त निदेशक, एन०पी०एच०एच०, एन०आर०एच०एच०, सोप्रो।
7. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, सोप्रो।
8. समस्त मण्डलीय कार्यका प्रबन्धन इकाई, एन०आर०एच०एच०, सोप्रो।
9. जिला लेखा प्रबन्धक/जिला प्रबन्धक, समस्त जिला कार्यका प्रबन्धन इकाई, एन०आर०एच०एच०, सोप्रो।
10. निजी रायिव, प्रमुख रायिव को इस आशय से प्रेषित कि प्रमुख रायिव महोदय के अधिसूचनाार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
11. गाई फाइल।

(सुकोमा कुमार् बेशर्मा)
महानिदेशक (आर०एच०)

संख्या-57/18-2-2024-97(ल030)/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2024

विषय : प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में वस्तु/सेवाओं/आउटसोर्सिंग/मैनपावर के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु समेकित दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-02-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/540/8-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त 2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ वस्तु/सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन प्लेट फार्म गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-(GFR-2017) द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाया जाना संभव हुआ है।

भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (GRF-2017) के नियम-149 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार और GeM के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) दिनांक 09.10.2017 को निष्पादित किया गया जिसमें जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य किया गया है। लेकिन यह पाया जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के क्रय में निविदाओं का एक बड़ा हिस्सा क्रेताओं द्वारा अभी भी जेम के बाहर ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जेम से सम्बन्धित पहले कई शासनादेश निर्गत किये गये हैं, परन्तु जेम से क्रय हेतु कई शासनादेशों के होने के कारण कई बार प्रदेश के क्रेता विभागों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अतः जेम पोर्टल पर वस्तु एवं सेवाओं के क्रय से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों (संलग्न अनुलग्नक "अ" में वर्णित) को अवक्रमित करते हुये निम्नलिखित समेकित शासनादेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जा रहा है। इस समेकित शासनादेश का क्रेता विभागों द्वारा जेम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

खरीद हेतु अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स)-2016 से किसी भी विचलन की स्थिति में जेम से क्रय हेतु यही शासनादेश प्रभावी होगा-

1. जेम पोर्टल भारत सरकार के जी0एफ0आर0-2017/वस्तु और सेवाओं के लिए प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स एवं जेम GTC (General Terms and Conditions) के अनुरूप संचालित होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भारत सरकार के जी0एफ0आर0-2017/प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स एवं जेम GTC (General Terms and Conditions) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए जेम पोर्टल पर अंगीकृत खरीद प्रक्रिया को अपनाया जायेगा।

2. जेम पोर्टल पर फॉरवर्ड नीलामी सेवा की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें जेम पर पंजीकृत सरकारी संस्थाओं को अपनी वस्तुओं (संपत्तियाँ, स्क्रेप वस्तु, ई-कचरा और बहुत कुछ) को बेचने या लीज पर देने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गयी है। इसलिए, वर्णित वस्तुओं के कुशल और पारदर्शी निपटान के लिए जेम पोर्टल पर उपलब्ध फॉरवर्ड नीलामी सेवा को लागू किया जाता है।

GeM पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश-

3. जेम पोर्टल के उपयोग हेतु सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा प्राइमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर (बायर/कन्साइनी/डी0डी0ओ0) के रूप में कार्य करने के लिये अधिकारियों को पद नाम से प्राधिकृत करना आवश्यक है एवं साथ ही विभाग पंजीकरण हेतु जेम जी0टी0सी0 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्राइमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर का निर्धारण कर पंजीयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। समस्त विभाग जेम पोर्टल GTC के नियम एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

4. सुगमता के लिए संक्षेप में पंजीकरण की प्रक्रिया पुनः निम्नवत स्पष्ट की जा रही है:-

- i. समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/ संस्थानों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रमुखों तथा उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्राइमरी यूजर बनाये जाने के आदेश निर्गत किये जाने होंगे।
- ii. तत्पश्चात् प्राइमरी यूजर द्वारा पोर्टल gem.gov.in पर sign up link पर जाकर स्वयं का पंजीकरण कराया जाएगा।
- iii. प्राइमरी यूजर द्वारा डिपार्टमेंट के फील्ड में अपने प्रशासकीय विभाग का नाम भरा जाएगा। यदि प्रशासकीय विभाग का नाम उपलब्ध नहीं है, तो जेम पोर्टल पर सपोर्ट डेस्क को अवगत कराया जाए तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को प्रेषित की जाएगी। तत्पश्चात् ओर्गेनाइजेशन के नाम में अपने विभाग अथवा संस्थान का नाम भरा जाएगा।
- iv. प्राइमरी यूजर के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्न सूचना की आवश्यकता होगी-
 - a. आधार नम्बर
 - b. आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
 - c. सरकारी ई0मेल0 आई-डी0 (nic.in/ gov.in)डोमेन पर(यह आई0डी0 यथासम्भव पद नाम से होना श्रेयस्कर है)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- v. एकरूपता के लिए विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेल आईडी का अकाउंटनेम/ यूजरनेम(@ से पूर्व का भाग) यूजर आईडी के रूप में रखा जाए।
- vi. शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउंट को व्यवहृत नहीं किया जाता है। अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।
- vii. जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुनः नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।
- viii. प्राइमरी यूजर्स के सत्यापन (Verifying) का कार्य, सत्यापन अधिकारी के रूप में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा किया जाएगा।
- ix. प्राइमरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/ अधिकारियों(जहां भी वस्तु/सेवा के क्रय एवं भुगतान की कार्यवाही निष्पादित की जाती है) को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति प्राप्तकर्ता (कंसाइनी) अथवा भुगतानकर्ता की भूमिका में पंजीकृत किया जायेगा।
- x. प्राइमरी यूजर्स द्वारा सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण हेतु उनके ईमेल (सरकारी) तथा मोबाइल नंबर (आधार पंजीकृत) की जानकारी होना आवश्यक है।
- xi. सेकेण्डरी यूजर्स के लिए भी एकरूपता के लिए ई-मेल के यूजर नेम/अकाउंटनेम (@ से पूर्व के अंश को) यूजर आईडी बनाया जा सकता है। उपरोक्तवत विभाग के अधिकारियों के प्राइमरी यूजर्स एवं सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत विभाग द्वारा जेम पोर्टल से क्रय की कार्यवाही की जा सकती है। क्रेता द्वारा वस्तु/सेवा की खरीद प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से आवश्यक अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाएगा तथा खरीद हेतु समुचित धनराशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

वस्तु /सेवा /मैन पावर सेवा खरीद हेतु सामान्य दिशा निर्देश -

5. सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जानी है।
6. भारत सरकार के General Financial Rules-2017 के नियम 149 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासकीय विभागों द्वारा निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकता है-
 - i. **सीधे क्रय (Direct Purchase)-** ₹0 50,000 तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता हो। सीधे क्रय के द्वारा ऑटोमोबाइल की खरीद बिना किसी अधिकतम सीमा के अनुमत है।
 - ii. **तुलनात्मक आधार पर एल-1 से क्रय (L1 Purchase by comparison)-** ₹0 50,000 से अधिक और ₹0 10,00,000/- तक का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं में से सबसे कम मूल्य की सामग्री ऑफर कर रहा हो परन्तु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जायेगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हो। ₹0 10,00,000/- से कम की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद भी जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग रिवर्स ऑक्शन के टूल का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

iii. **बिड/निविदा के माध्यम से क्रय-** रू0 10,00,000/- से ऊपर के क्रय में अनिवार्य रूप से ऑनलाईन बिडिंग/रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुये सबसे कम मूल्य ऑफर करता है। बिडिंग एवं आर0ए0 (रिवर्स ऑक्शन टूल) के उपरान्त भी यदि क्रेता प्राप्त L-1 दर से संतुष्ट न हो, तो वह पोर्टल पर उपलब्ध प्राइस निगोसिएशन टूल का प्रयोग कर सकता है।

7. क्रेता द्वारा दस लाख से अधिक किसी भी वस्तु/सेवा के क्रय हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध/प्रदर्शित Bid to RA का विकल्प अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

8. जेम बिडों में GeM GTC का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियम व शर्तों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि क्रेता GeM GTC के अतिरिक्त कोई अन्य नियम व शर्तें जोड़ना चाहता है तो उसे जेम की अतिरिक्त नियम व शर्तें (ATC) सुविधा का उपयोग करते हुए न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) के स्तर के प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के साथ शामिल किया जा सकता है।

9. जी०एफ०आर० के नियमों के अनुसार क्रय की जाने वाली वस्तु/सेवाओं के मूल्य से क्रेता स्वयं संतुष्ट होगा। यथोचित मूल्य के निर्धारण (Reasonableness of Price) के लिये क्रेता जेम पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फिल्टर तथा BAT उपकरण (Business Analytics Tool) जैसे- मूल्य का रुझान (Price Trends), जेम पोर्टल पर उस वस्तु का पिछला क्रय मूल्य, सम्बन्धित विभाग में उस वस्तु का पिछला क्रय मूल्य अथवा एम०आर०पी० (MRP) पर छूट इत्यादि का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है।

10. जेम पोर्टल पर केवल मूल्य संदर्भ (price reference) के लिए जेम बिड लगाना और बिड खुलने के बाद जेम के बाहर मैनुअल/ऑफलाइन क्रय आदेश जारी करना निषिद्ध हैं। यह GeM GTC खंड संख्या- 3 (B)(b)(IX) का उल्लंघन है। क्रेताओं को जेम पर आयोजित ई-बिड/रिवर्स नीलामी के परिणाम के आधार पर विक्रेता को सीधे कोई मैनुअल/ऑफलाइन अनुबंध करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा क्रेता द्वारा प्रति नग वस्तु/सेवा की जेम बिड जारी करना तथा बिड खुलने के बाद विक्रेता से सीधे कुल मात्रा का मैनुअल / ऑफलाइन अनुबंध करना भी निषिद्ध हैं।

11. खरीद प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन या जेम सामान्य नियम व शर्तों से विचलन के किसी भी मामले में जेम की प्रचलित इंसिडेंट प्रबंधन नीति लागू होगी। Incident management policy के तहत defaulter बिडर के खिलाफ कार्यवाही हेतु इंसिडेंट को क्रेता द्वारा initiate/escalate किया जाना चाहिए। जेम पोर्टल पर उपलब्ध incident management policy<https://assets-bg.gem.gov.in/resources/upload/shared_doc/im-policy-version-01_1713529595.pdf> को समय-समय पर जेम द्वारा अपडेट किया जाता है।

12. जेम पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धता अधिकाधिक संतोषजनक आपूर्तिकर्ताओं के जेम पर पंजीकरण तथा उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ही सम्भव है। अतः विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विभागों द्वारा वर्तमान में जिन आपूर्तिकर्ताओं से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय किया जा रहा है उनका यथापेक्षित परीक्षण कराकर उन्हें जेम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु MSME विभाग या जेम टीम को रेफर किया जा सकता है।

13. क्रेता को वांछित वस्तु/सेवा पोर्टल पर उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रेता कस्टम/BOQ बिड (यदि जेम पोर्टल पर अनुज्ञप्त हो) के विकल्प का चयन कर सकते हैं। कस्टम/BOQ बिड सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से अनुमोदन लेने के उपरान्त ही पोर्टल पर फ्लोट की जायेगी। कस्टम /BOQ बिड प्रकाशित होने के 03 दिन के अन्दर बिड के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति दी जाये तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की प्रति तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रस्तुत की जायेगी। यदि जेम पोर्टल पर वस्तु/सेवा की कैटेगरी उपलब्ध होने के पश्चात भी क्रेता द्वारा कस्टम/BOQ बिड बनायी जाती है, तो ऐसी निविदाओं को प्रक्रिया के किसी भी चरण पर GeM द्वारा स्वतः निरस्त किया जायेगा तथा जिसके लिये सम्बन्धित क्रेता को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। जेम पर आवश्यक क्रय सम्भव न हो पाने के कारण अपरिहार्य स्थिति में जेम से बाहर क्रय एमएसएमई विभाग/जेम से परामर्श के उपरांत तथा उक्त सक्षम स्तर के अनुमोदन के साथ ही किया जा सकता है।

14. विभिन्न विभागों द्वारा सॉफ्टवेयर वेबसाइट /वेब पोर्टल/ सिक्योरिटी ऑडिट /मोबाइल एप विकसित करने के क्रय में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत क्रेता विभाग UPTRON/UPDESCO/NICSI/UPELC/SRITON की सेवायें सीधे प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा समस्त सेवाएँ अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जायेंगी।

15. जेम पोर्टल से वस्तु एवं सेवाओं के क्रय हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/2012 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा जारी क्रय नीति-2020 के प्रस्तर-2 के अनुरूप प्रत्येक राज्य के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने अधीन प्रस्तावित कुल वार्षिक सेवापूर्ति का न्यूनतम 25 प्रतिशत लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म एवं लघु सेवा प्रदाताओं से आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्धारित करेंगे प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु सेवा प्रदाताओं हेतु आरक्षित इस 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत महिला सेवा प्रदाताओं से, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सेवा प्रदाताओं से एवं 5 प्रतिशत लक्ष्य ग्रीन प्रोक्योरमेंट के अनुसार पर्यावरणीय अनुकूल सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रय/आपूर्ति हेतु निर्धारित किया जायेगा। निविदाओं के संबंध में प्राइसमैचिंग केविकल्प हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-4 के अनुरूप यदि टेण्डर में एल-1 ऑफर देने वाली फर्म सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर है और किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा एल-1 ऑफर के मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक अधिक मूल्य अंकित किया गया है, तो ऐसी दशा में यदि प्रदेश की एमएसएमई तकनीकी रूप से अर्ह है तो उक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (या एक से अधिक ऐसे उद्यमों की दशा में 15 प्रतिशत बैंड में स्थित सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को यह अधिकार होगा कि वे अपने मूल्य को एल-1 स्तर पर लाकर कुल निविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग या अक्रम द्वारा अनुमति दी जायेगी तथा आपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की दशा में उनसे ली जाने वाली आपूर्ति को उनके द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

निविदत मात्रा के आनुपातिक रूप में बांटा जायेगा। इस संबंध में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 की व्यवस्था एवं शर्तें यथा आवश्यकता लागू होंगी।

16. भारत सरकार के GFR पैरा 173 (xx) के अनुसार "प्रतिस्पर्धा की कमी केवल बिडों की संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं की जाएगी। यहां तक कि जब केवल एक बिड प्रस्तुत की जाती है, तो भी प्रक्रिया को वैध माना जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों-

(क) खरीद का विज्ञापन संतोषजनक ढंग से किया गया तथा बिड प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया।

(ख) योग्यता मानदंड अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं थे; और

(ग) प्राप्त कीमतें बाजार मूल्य की तुलना में उचित हैं।"

यदि बिड मूल्यांकन समिति पाती है कि उपरोक्त सभी पहलुओं का बिड में पूर्ण ध्यान रखा गया है, तो यह समिति केस को क्रय करने वाली इकाई से एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी के पास औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी बिड को मेरिट के आधार पर निरीक्षण के उपरांत निर्णय लेगा कि बिड की वित्तीय निविदा खोली जानी चाहिए या बिड पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए। पर यदि बिड मूल्यांकन समिति पाती है कि उपरोक्त सभी पहलुओं का बिड में पूर्ण ध्यान नहीं रखा गया है तो बिड को पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए।

17. जेम के सामान्य नियम व शर्तों में इंगित है कि अनुबन्ध (contract) क्रेता व वस्तु/सेवा प्रदाता के बीच है। यदि किसी कान्ट्रैक्ट के प्रचलित रहते हुए अन्य किसी प्रकरण में वस्तु/सेवा प्रदाता के विरुद्ध डिलिस्टिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाती है, तो इस सूचना के आधार पर अन्य क्रेता अपने स्वविवेक से अपना कान्ट्रैक्ट जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकता है, परन्तु अन्य प्रचलित कान्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त नहीं होंगे।

18. यदि किसी वस्तु/सेवा प्रदाता कम्पनी की निविदा तकनीकी रूप से अर्ह नहीं है तो इसे निरस्त करते समय स्पष्ट कारण (Speaking Reason) अंकित किया जाना चाहिये तथा वस्तु/सेवा प्रदाता को अपना पक्ष रखने के लिये अनुमन्य समय प्रदान करते हुये उनकी जिज्ञासा का समाधान भी किया जाना चाहिये। बिना स्पष्ट कारण बताये सेवाप्रदाताओं की निविदाये तकनीकी रूप से निरस्त नहीं की जानी चाहिये। क्रेता द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिये कि प्रतिभाग करने वाली इकाईया कहीं एक ही व्यक्ति की तो नहीं हैं।

19. वर्तमान में ब्लैकलिस्टेड/डिबार कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कंपनी को निविदा में प्रतिभाग करने पर कोई रोक नहीं है। पूर्व में ब्लैकलिस्टेड/डिबार हो चुकी ऐसी कंपनियां जिनकी ब्लैकलिस्टिंग/डिबार अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जिनके पक्ष में मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया हो, ऐसी समस्त कम्पनियां निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20. निविदाओं में अवांछित प्रपत्र न मांगे जाये और न ही अनावश्यक प्रतिबंधात्मक नई शर्त लगाकर सेवा प्रदाताओं की निविदायें निरस्त की जाये। क्रेता द्वारा बिड बनाने से पूर्व जेम पोर्टल पर उपलब्ध सम्बन्धित ATC (Additional Terms and Conditions) का भली-भांति अध्ययन कर लेना चाहिये, जिससे अनावश्यक शर्तें, जो वस्तु अथवा सेवा के क्षेत्र में अनुमन्य नहीं हैं न लगायी जायें। जेम ऑनलाइन पोर्टल है। अतः जेम बिड में किसी भी प्रकार के मैनुअल डॉक्यूमेंटप्रपत्र क्रेता द्वारा नहीं मांगे जाएंगे। निविदा का निर्धारण बिडर द्वारा केवल मूल ऑनलाइन प्रस्ताव में दिए गए डॉक्यूमेंटप्रपत्र /विवरण से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. जेम पोर्टल पर बिड/निविदा पूर्ण हो जाने पर निविदा को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश बिड निरस्त करना आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही बिड निरस्त की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ अवांछनीय परिस्थितियों में एवं बिना किसी ठोस कारण के बार-बार निविदा तिथि न बढ़ाई जाए तथा निर्धारित अवधि में ही निविदा प्रक्रिया का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल/जीएफआर/ जेम जीटीसी(पैरा 7.6.1) के अनुपालन में जेम बिड की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले सफल बिडर को जेम अनुबंध निर्गत होना सुनिश्चित किया जाना है। L 1 प्रस्ताव के विथड्रॉ करने पर पुनः निविदा जारी की जायेगी एवं संबंधित फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही भी क्रेता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जेम पोर्टल पर सभी क्रय प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति के दो कार्यदिवसों के अंतर्गत जेम अनुबंध जारी किया जाना चाहिए।

22. जेम पोर्टल की शर्तों के अनुसार वस्तु/सेवाओं की आपूर्ति के 48 घंटे के अन्दर Provisional Receipt Certificate (PRC), आपूर्ति के दिनांक से 10 दिन के अन्दर संतोषजनक आपूर्ति के प्रमाणपत्र Consignee's Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) तथा उसके पश्चात् निर्धारित 10 दिन की समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

23. भारत सरकार के जीएफआर-2017 के पैरा 192 के अनुसार QCBS पद्धति का उपयोग कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद हेतु किया जा सकता है। नॉन कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद हेतु QCBS पद्धति का उपयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य आवश्यकता पर नॉन कंसल्टेंसी सेवाओं के क्रय हेतु QCBS पद्धति का प्रयोग भारत सरकार/वित्त मंत्रालय के OM NO.F.1/1/2021-PPD दिनांक 29.10.2021 में उल्लिखित QCBS संबंधी प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए MSME विभाग से परामर्श प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है।

24. जेम पोर्टल पर विस्तृत FAQ, CHATBOT, LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) मॉड्यूल, क्रय प्रक्रिया से सम्बन्धित वीडियो तथा अन्य प्रशिक्षण वस्तु उपलब्ध है, जिससे क्रेता, विक्रेता एवं सेवाप्रदाता पोर्टल पर क्रय-विक्रय की प्रक्रिया तथा पंजीकरण आदि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु निरन्तर ही ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं, जिसकी तिथि पूर्व से ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है। कोई भी क्रेता/विक्रेता प्रशिक्षण हेतु स्वयं पंजीकरण कर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

25. जेम सेल/जेम पी0एम0यू0 टीम के द्वारा जेम पोर्टल पर क्रेता को शासकीय क्रय में आ रही समस्याओं के निस्तारण करवाने में सहायता की जायेगी, परन्तु बिड बनाते समय ए0टी0सी0 की शर्तों और तकनीकी Specifications का निर्धारण करने के लिये पूर्ण रूप से क्रेता विभाग ही उत्तरदायी है। जब भी कोई जेम बिड फ्लोट की जाती है तो बिड का तकनीकी मूल्यांकन करना या अन्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्रेता विभाग ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

26. जनपद स्तर पर विभागों में वस्तु एवं सेवाओं के क्रय हेतु जेम पोर्टल पर आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, नोडल अधिकारी होंगे तथा इसी प्रकार मण्डल स्तर पर अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग जेम पोर्टल पर वस्तु/सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी नामित होंगे। सम्बन्धित जनपदीय नोडल अधिकारी सम्बन्धित जनपदीय जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को समय-समय पर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

27. उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-53/2023/1681-311/18-2-12(एस0पी0)/2010 दिनांक 20 अक्टूबर 2023, जो समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० को सम्बोधित है, जिसमें सरकारी विभागों एवं संस्थाओं को उ०प्र० सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं से ही वस्त्रों के क्रय को जेम पोर्टल के माध्यम किया जाना अनिवार्य किया गया है, इसे सुनिश्चित किया जाए।

28. भारत सरकार के वस्तु प्रोक्योरमेंट मैनुअल - 2022 के पैरा 2.2.1(X) के नियमों के अनुसार क्रेता,बिड के तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन हेतु बिडर्स से सैंपल (Sample) की मांग नहीं कर सकता एवं इसमें विशिष्ट परिस्थितियों में ही क्रय आदेश के जारी होने के उपरान्त एडवांस सैंपल के अनुमोदन की अनुमति प्रदान की गई है। अतः क्रेता भारत सरकार के वस्तु प्रोक्योरमेंट मैनुअल के पैरा 2.2.1(X) में उल्लिखित प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए ही सैंपल संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

29. प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं, उपक्रमों, निगमों आदि में जेम पोर्टल के सुगम कार्यान्वयन एवं समय-समय पर ट्रेनिंग हेतु समस्त विभाग न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के नोडल अधिकारी नामित करेंगे एवं सूचना msmesec2@gmail.com एवं gemcellup@gmail.com को प्रेषित करेंगे।

मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं के क्रय हेतु विशेष दिशा-निर्देश-

30. किसी सेवा प्रदाता द्वारा सम्भावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के सम्बन्ध में क्रेता विभाग को सेवा प्रदाता के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर जेम पोर्टल की Incident management Policy के तहत सेवा प्रदाता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

31. आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मों को सेवा प्रदाता स्वमेव बदल नहीं सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित/कार्यरत कर्मचारियों को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा। किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

32. जेम के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कर्मों लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मियों की निरन्तरता बाधित नहीं की जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के सम्बन्ध में संतुष्ट प्रमाण पत्र क्रेता विभाग द्वारा सेवाप्रदाता को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल नवीन कर्मियों का चयन सेवायोजन पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

33. कार्मिकों को विलम्ब से भुगतान को रोकने के लिये क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर जेम पोर्टल के मैनेपावर एस0एल0ए0 (Service Level Agreement) एवं प्रश्नगत GeM बिड शर्तों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार क्रेता द्वारा पेनाल्टी लगाई जायेंगी।

34. अभ्यर्थियों की तैनाती के लिये सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैंडीडेट्स को वरिष्ठता क्रम में अन्तर्गत चयन किये जाने हेतु सेवा प्रदाता से विभागों द्वारा कर्मियों की मांग के अनुसार यथा एक कर्मों के लिये पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं तथा 2 या 02 से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जायेगा। सेवाप्रदाता द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता पर मूल्यांकन करते हुये चयन किया जायेगा जिसमें क्रेता विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। जेम पोर्टल से मैनेपावर आउटसोर्सिंग के क्रय हेतु सेवा प्रदाता के चयन के उपरान्त कार्मिकों को उपलब्ध कराने हेतु कार्मिक विभाग एवं श्रम विभाग के सेवायोजन पोर्टल से सम्बन्धित नवीनतम शासनादेश के क्रम में सेवाप्रदाता कार्यवाही करेंगे और क्रेता विभाग द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मैनेपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं के क्रय हेतु उपर्युक्त सभी विशेष दिशानिर्देशों को बिड बनाते समय क्रेता विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी क्रेता द्वारा मैनेपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं के क्रय हेतु किसी विशेष शर्त की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो क्रेता द्वारा ऐसी सभी विशेष शर्तों को सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से अनुमोदनोपरान्त buyer added Bid ATC में सम्मिलित किया जा सकता है।

वस्तु/सेवा/मैनेपावर सेवा खरीद हेतु अन्य दिशा-निर्देश-

35. किसी भी विभाग द्वारा किसी गुणवत्ता पूर्ण सेवा के लिये कार्मिकों की शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का निर्धारण सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा तथा कार्मिकों को कितना मानदेय देय होगा, इसका निर्णय सम्बन्धित विभाग, विभिन्न सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज तथा बोनस (यदि देय) के अनुसार करेगा, जो कि वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रहे मानदेय से कम अनुमन्य नहीं होगा। श्रम संविदा नियमावली, साप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य के घण्टे जैसे नियमों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुपालन कराने की जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी। सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों के ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 आदि की कटौतियाँ नियमानुसार की जायेंगी। क्रेता विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में सेवा प्रदाताओं द्वारा नियमित कटौतियाँ कर सम्बन्धित विभाग में जमा की जा रही हैं, इसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित क्रेता विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि सेवा प्रदाता द्वारा एक माह तक कटौतियाँ नहीं की जाती हैं तो सेवा प्रदाता को सचेत करते हुये कटौतियाँ सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके पश्चात भी यदि सेवा प्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 आदि की कटौतियाँ नियमानुसार नहीं की जाती हैं तो सम्बन्धित सेवा प्रदाता पर क्रेता विभाग द्वारा जेम पोर्टल के नियमो/ Incident management Policy के तहत कार्यवाही की जायेगी।

36. सेवा प्रदाता द्वारा EPF, ESI & GST आदि की कटौती प्रश्नगत जेम क्रयदेश तथा सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) के अनुसार की जायेगी एवं क्रेता विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

37. मिनिमम वेज पर आधारित मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवा की GeM बिड हेतु सेवाप्रदाता के लिये अर्ह न्यूनतम सेवा शुल्क (Service Charge) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के OM No. F.6/1/2023-PPD दिनांक 06.01.2023 द्वारा 3.85% निर्धारित किया गया है, जिसमें 3% लाभ एवं 0.85% ट्रांज़ैक्शन शुल्क, जो वर्तमान में प्रचलित हैं। अपरिहार्य आवश्यक कारणों के अंतर्गत क्रेता विभाग सेवा शुल्क को 3.85% से अधिक, पर अधिकतम 7% तक, MSME विभाग से परामर्श के उपरान्त ही निर्धारित कर सकता हैं।

38. GeM GTC के पैरा 8 (i) के अनुसार, GeM पर वस्तुओं/सेवाओं के लिए प्रस्तावित मूल्य सर्वसमावेशी आधार पर होगा, अर्थात् इसमें सभी कर, शुल्क, स्थानीय शुल्क/परिवहन/लोडिंग/अनलोडिंग शुल्क आदि शामिल होंगे। इसलिए, GeM खरीद आदेश में उल्लिखित कुल मूल्य के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि जेम बिड एवं क्रय आदेश में क्रेता ATC द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से निर्दिष्ट न किया गया हो। जेम पोर्टल पर जारी होने वाले सभी क्रय आदेशों में कुल अनुबंध मूल्य को निकालने का फार्मूला वर्णित होता हैं। इसके साथ-साथ प्रत्येक वस्तु /सेवा के SLA पर भी यह फार्मूला वर्णित होता है। जैसेकि जेम पोर्टल पर मैनपावर हायरिंग (under Minimum wages) हेतु कुल अनुबंध मूल्य का सर्वसमावेशी फार्मूला निम्नलिखित दिया गया हैं, जिसमें GST, सर्विस चार्ज इत्यादि सभी सम्मिलित हैं-

Cumulative Cost (Daily):

$$“d” = “bp” + “esi” + “pf” + “edli” + “bonus” + “admin” + “nm1” + “nm2” + “nm3”$$

जहाँ,

“d” = संचयी लागत (दैनिक)

“bp” = मूल दैनिक वेतन (INR) जीएसटी को छोड़कर

“pf” = प्रोविडेंट फंड (INR दैनिक)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

“edli” = EDLI (INR दैनिक)

“esi” = ESI (INR दैनिक)

“bonus” = बोनस (INR दैनिक)

“admin” = EPF एडमिन चार्ज (INR दैनिक)

“nm1” = वैकल्पिक भता 1 (INR दैनिक)

“nm2” = वैकल्पिक भता 2 (INR दैनिक)

“nm3” = वैकल्पिक भता 3 (INR दैनिक)

Total Cost- :

$$“tcv” = (d * nd + “oth” * “otr”) * (1.18 + sc / 100) * t * q$$

जहाँ,

“tcv” = कुल अनुबंध मूल्य

“d” = संचयी लागत (दैनिक)

“sc” = सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत प्रतिशत में सेवा शुल्क

* फैक्टर 1.18 - सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर 18% जीएसटी

“nd” = एक महीने में कार्य दिवसों की संख्या

“t” = अवधि जिसके लिए सेवा की आवश्यकता है (महीनों की संख्या में)

“q” = मात्रा (खरीदार द्वारा आवश्यक संसाधनों की संख्या)

“oth” = प्रति संसाधन प्रति माह ओवरटाइम घंटों की अनुमानित संख्या

“otr” = ओवरटाइम घंटों के लिए प्रति संसाधन प्रति घंटे पारिश्रमिक (सभी लागू भत्ते आदि सहित और जीएसटी को छोड़कर)

प्रायः यह पाया गया है कि सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा कार्यरत मैनपावर का अपूर्ण विवरण भुगतान बिलो के साथ दिया जाता है, जिससे बिल भुगतान में बिलम्ब होता है। अतः सेवा प्रदाता फर्म क्रय आदेशानुसार अपने भुगतान बिलो के साथ कार्यरत मैनपावर का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बिल का माह.....

जेम अनुबंध संख्या....

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	आधार/रजिस्ट्रेशन न.	कुल मासिक कार्यदिवसों की संख्या	उपस्थित कार्यदिवसों की संख्या	अनुपस्थित कार्यदिवसों की संख्या	वेज दर /दिवस	कुल अर्जित पारिश्रमिक	रिमार्क

कंसाइनी/क्रेता उपरोक्त विवरण की जांच सम्बंधित जेम अनुबंध से करते हुए ही केस को भुगतान हेतु अग्रेषित करेंगे।

39. यदि अनुबंधों में कार्मिक और सामग्री दोनों की आपूर्ति सम्मिलित करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए सफाई अनुबंध आदि। ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा जेम बिड में ही कार्मिक के विवरण के साथ-साथ अनुबंध अवधि में आवश्यक कुल सामग्री की मात्रा पूर्ण तकनीकी विनिर्देशों के साथ सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनुबंध के बाद किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके तथा गुणवत्तापरक सेवा की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। सेवा प्राप्तकर्ता (consignee)/क्रेता द्वारा GeM अनुबंध के अनुसार आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण करना होगा और तदनुसार ही बिल स्वीकृत करना होगा। सामग्री में किसी भी कमी या अनुबंध के अनुसार सामग्री न होने की स्थिति में उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और प्रस्तुत बिल में अनुबंधानुसार निर्धारित कटौती की जाएगी।

40. संबंधित विभाग सेवा की आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में चल रहे अनुबंध समाप्त होने के कम से कम तीन माह पूर्व ही मैनपावर सेवा क्रय की जेम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर देंगे, ताकि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। अपरिहार्य स्थितियों में जेम पोर्टल पर क्रय आदेश निर्गत न होने की स्थिति में क्रेता विभाग द्वारा वर्तमान में चल रहे अनुबंधों में छः माह तक का विस्तार किया जा सकता है एवं इसका अनुमोदन एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

41. मैनपावर आउटसोर्सिंग के लिये सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु बेहतर निगरानी, निश्चितता एवं सहूलियत के लिए अपरिहार्य स्थितियों में एक या एक से अधिक क्रय क्लस्टर गठित करने के संबंध में निर्णय प्रशासकीय विभाग(शासन स्तर) द्वारा लिया जायेगा। क्लस्टर निर्धारित होने के उपरान्त विभाग द्वारा आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा।

42. विभागीय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी की उपस्थिति उसी माह के अगले कार्य दिवस को ई मेल द्वारा सेवा प्रदाता को उपलब्ध करा दी जाए। कर्मचारी का मानदेय सेवा प्रदाता द्वारा उपस्थिति के 04 से 06 कार्य दिवसों के अन्दर दे दिया जाए तथा पी.एफ. का भुगतान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक कर दिया जाए एवं ई.एस.आई. आदि की धनराशि सेवा प्रदाता द्वारा जमा करा दी जाए। इसके दृष्टिगत विभागीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिकारी सम्बन्धित धनराशि का भुगतान 30 कार्य दिवसों के अन्दर सेवा प्रदाता को अवश्य कर दें। मानदेय भुगतान में विलम्ब होने पर सेवा प्रदाता पर जेम नीति के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।

वस्तु/सेवा/मैनपावर सेवा खरीद हेतु EMD, ePBG एवं अन्य अर्हताओं से सम्बंधित दिशा-निर्देश

43. सूक्ष्म एवं लघु इकाईयाँ जो नियमानुसार पंजीकृत हैं तथा वे स्टार्ट अप्स इकाईयाँ जो औद्योगिकी नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं इकाईयों को ई0एम0डी0 से छूट दी जानी चाहिये। उक्त के अतिरिक्त जेम जी0टी0सी0 (सामान्य नियम एवं शर्तों) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप इकाईयों को भी ई0एम0डी0 से छूट प्रदान की जायेगी। वर्तमान में जेम जी0टी0सी0 के अनुसार ₹ 5 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य की बिड पर अनुमानित मूल्य के 1% की दर से ई0एम0डी0/बिड सिक्योरिटी ली जा सकती है। विशेष एवं आवश्यक स्थिति में क्रेता के पास बिड के अनुमानित मूल्य का 0.5% से 05% के बीच ई0एम0डी0/बिड सिक्योरिटी राशि का चयन करने का विकल्प भी है, जिसे सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाईयों के लिए) से अनुमोदनोंपरान्त बिड में सम्मिलित किया जा सकता है। मौद्रिक सीमा में परिवर्तन की स्थिति में जेम जीटीसी में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही ई0एम0डी0/बिड सिक्योरिटी राशि ली जानी है एवं इस संबंध में कार्यवाही की जानी है। जेम जीटीसी पैरा 4 (XIII)(P) के अनुपालन में असफल बिडर की EMD, GeM अनुबंध जारी होने या बिड वैधता की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर, जो भी पहले हो, वापस किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। हलाँकि, दो पैकेट या दो चरण की बोली के मामले में, पहले चरण यानी तकनीकी मूल्यांकन के दौरान असफल बिडरो की EMD पहले चरण यानी तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। सफल बिडर की EMD ई-पीबीजी प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर वापस किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

44. वर्तमान में जेम जीटीसी के अनुसार ₹ 5 लाख से अधिक धनराशि के क्रय आदेश पर ही ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लागू होगी। ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि को क्रय आदेश मूल्य के 3% से 5% के मध्य लिया जा सकता है। मौद्रिक सीमा में परिवर्तन की स्थिति में जेम जी0टी0सी0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि ली जानी है एवं इस संबंध में कार्यवाही की जानी है। बिड/निविदा में सफल निविदादाता द्वारा ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराया जाना आवश्यक है जिससे क्रेता द्वारा बिड की शर्तें पूर्ण न करने पर विक्रेता/सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक गारन्टी से क्षतिपूर्ति की जा सके। ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से किसी भी श्रेणी की इकाई के लिये छूट अनुमन्य नहीं है। विक्रेता/सेवाप्रदाता द्वारा जमा करायी गयी ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का सत्यापन क्रेता विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा तथा ई0पी0बी0जी0 का सत्यापन होने के उपरान्त ही सेवा प्रदाता को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी। जेम जीटीसी पैरा 7 (II) के अनुपालन में विक्रेता द्वारा सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के 30 दिनों के भीतर विक्रेता को ई0पी0बी0जी0/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को वापस करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

45. भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल/जीएफआर/जेम जीटीसी (पैरा 9.15.2 (i)) के अनुसार मद/सेवा प्रदाता के पास Financial Capability से सम्बंधित अर्हताएं हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तथा चालू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष में बिड खुलने की तिथि तक औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर, बिड की अनुमानित लागत का कम से कम 30% (तीस प्रतिशत) होना चाहिए। उदाहरण – यदि बिड की अनुमानित मूल्य 01 करोड़ रुपये है तथा क्रय विभाग 30% टर्नओवर के फिल्टर/विकल्प का उपयोग करता है, तो पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक न्यूनतम 30 लाख रुपये टर्नओवर वाला कोई भी सेवा प्रदाता बोली लगा सकता है। किसी विशेष स्थिति में टर्नओवर संबंधी अर्हताओं में बदलाव सक्षम अधिकारी, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए), से पर्याप्त औचित्य के साथ अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है।

46. भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल-2022/जीएफआर-2017/ जेम जीटीसी ((पैरा 9.15.2 (ii)) के अनुसार सेवा प्रदाता के पास Past Experience से सम्बंधित अर्हताएं हेतु विगत 3 वर्षों में Central/State Government/ PSUs/ Nationalized Banks में निविदित अथवा सिमिलर सेवा (similar service) की सफल आपूर्ति के कार्य का अनुभव बिड की अनुमानित राशि के 80% का एक कार्य अथवा 50% के दो अथवा 40% के तीन कार्य का पूर्ण होना अनिवार्य है। उदाहरण यदि बिड की अनुमानित राशि ₹0 1 करोड़ है तो यदि किसी सेवा प्रदाता ने विगत 3 वर्षों में 80 लाख मूल्य का एक क्रयादेश पूर्ण किया हो या 50 लाख मूल्य के दो क्रयादेश अथवा 40 लाख मूल्य के तीन क्रयादेश पूर्ण किये हों तो ही वह सेवा प्रदाता तकनीकी बिड हेतु अर्हता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से वस्तु खरीद में Past Experience से सम्बंधित अर्हताएं हेतु क्रेता द्वारा विगत 3 वर्षों में Central/State Government/PSUs/ Nationalized Banks में निविदित मात्रा की 10 % से 50 % के मध्य निविदित अथवा सिमिलर वस्तु(similar goods) की सफल आपूर्ति के कार्य का अनुभव आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है। पारदर्शिता हेतु क्रेता द्वारा सिमिलर वस्तु/सेवा (similar goods/service) को जेम बिड में स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप परिभाषित किया जाएगा। किसी विशेष स्थिति पर Past Experience सम्बंधित अर्हताएं में बदलाव सक्षम अधिकारी, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी /निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए), से पर्याप्त औचित्य के साथ अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है।

47. भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल-2022/जीएफआर-2017/ जेम जीटीसी (पैरा 1.9.1) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वस्तु /सेवा खरीद पर नियमानुसार पंजीकृत स्टार्ट-अप्स तथा सूक्ष्म व लघु इकाइयों को, शासकीय वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता व तकनीकी विशिष्टियों को प्रभावित किये बिना, पूर्व टर्न ओवर एवं पूर्व कार्यानुभव से छूट प्रदान की जा सकती है। विशेष रूप से मैनपावर आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा 50 लाख तक की निविदा में नियमानुसार पंजीकृत स्टार्ट-अप्स तथा सूक्ष्म व लघु इकाइयों को, शासकीय वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता व तकनीकी विशिष्टियों को प्रभावित किये बिना, पूर्व टर्न ओवर एवं पूर्व कार्यानुभव से छूट प्रदान की जा सकती है। यह छूट केवल उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म व लघु इकाइयों एवं स्टार्ट-अप्स को ही अनुमन्य होगी। हालांकि, क्रेता विशेष परिस्थितियों जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा संचालन और उपकरण इत्यादि से संबंधित खरीद पर सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से अनुमोदनों/परान्त नई संस्थाओं को ऑर्डर देने के बजाय विक्रेता को पूर्व अनुभव/ टर्न ओवर रखने को प्राथमिकता दे सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

48. GeM बिड में मद /सेवा प्रदाता हेतु अर्हताएं केवल भारत सरकार के GFR/प्रोक्योरमेंट मैनुअल /GeM जीटीसी में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत ही लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मद /सेवा प्रदाता हेतु आवश्यकतानुसार अर्हताएं न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/निदेशक/आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक/महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) के स्तर के प्राधिकारी से पर्याप्त औचित्य के साथ अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही बिड में सम्मिलित की जा सकती है।

49. भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल-2022/जीएफआर-2017/ जेम जीटीसी (पैरा 7.5.9) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आम तौर पर बिडर के साथ प्राइस नेगोसिएशन नहीं होना चाहिए। नेगोसिएशन नियम के बजाय एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसका सहारा लिया जा सकता है। यदि कीमतों में कमी के लिए नेगोसिएशन करने का निर्णय लिया जाता है, तो उन्हें केवल सबसे कम स्वीकार्य बोलीदाता (L1) के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। नेगोसिएशन के लिए जेम /GFR/ भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल के नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

50. गुटबाजी (Cartelization) से निपटने हेतु जेम के प्रावधानों के साथ-साथ भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों GFR-2017/प्रोक्योरमेंट मैनुअल-2022/Competition Act, 2002 के दिशा निर्देश लागू होंगे। जेम जीटीसी पर वर्णित क्रेता हेतु निषिद्ध गतिविधियों की सूची का पालन सुनिश्चित किया जाना है। किसी भी बिड में गुटबाजी की आशंका की स्थिति में क्रेता द्वारा केस को जांच हेतु जेम टीम को भेजा जा सकता है।

51. जेम डिस्क्लेमर की शर्तों को भारत सरकार के खरीद नियमों के अनुसार बनाया गया है तथा जेम खरीद हेतु इन शर्तों का अनुपालन बाध्यकारी किया गया है। ये शर्तें प्रत्येक जेम बिड पर अंकित होती हैं। अतः क्रेता द्वारा जेम बिड पर अंकित जेम डिस्क्लेमर की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जेम डिस्क्लेमर के शर्तों का उल्लंघन करती जेम बिड को null and void माना जाएगा एवं इस प्रकार की बिड को जेम नई दिल्ली द्वारा निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए क्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा।

52. यदि किसी विक्रेता को बिड के किसी पहलू पर कोई आपत्ति/शिकायत है, तो वे GeM बिड प्रकाशन के 4 दिनों के भीतर ऑनलाइन रिप्रजेंटेशन दे सकता है। क्रेता ऐसे सभी रिप्रजेंटेशन का उत्तर देने के लिए बाध्य है और यदि वह ऐसे रिप्रजेंटेशन का उत्तर देने में विफल रहता है तो जेम पोर्टल द्वारा उसे बिड खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

53. जेम पोर्टल में क्रेता और विक्रेता/सेवा प्रदाता के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान GeM GTC के पैरा 16 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है। इसके साथ साथ जेम जीटीसी के पैरा 23.5 में क्रेता की निषिद्ध गतिविधियों की सूची का उल्लेख है, जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

54. किसी प्राधिकारी द्वारा इन प्राविधानों का अनुपालन न करने, जेम से क्रय न करने, अन्य किसी माध्यम से क्रय करने तथा प्रोक्योरमेंट में अनियमितता करने की शिकायत ई-मेल आईडी-gemcellup@gmail.com पर भेजी जा सकती है। उक्त ई-मेल पर प्राप्त समस्त शिकायतों पर जेम सेल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

द्वारा संज्ञान लिया जायेगा तथा प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को अपरान्ह 5:00 बजे निम्नलिखित समिति के समक्ष प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। समिति निम्नवत होगी:-

- (1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन – अध्यक्ष
- (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त –सदस्य
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0 –सदस्य
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण –सदस्य
- (5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –सदस्य
- (6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास –सदस्य

55. यदि किसी प्राधिकारी द्वारा कोई वस्तु/सेवा जेम पोर्टल से क्रय करने के तीन प्रयास विफल होते हैं अथवा बिड किन्हीं कारणों से तीन बार निरस्त होती है, तो ऐसे प्रकरणों की सूचना जेम सेल को दी जायेगी। जेम सेल ऐसे प्रकरणों की विस्तृत जानकारी कर उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेगी। समिति की सहमति/अनुमति के उपरान्त ही प्राधिकारी अगली बिड की कार्यवाही जेम सेल की देख-रेख में सम्पन्न करेंगे।

56. उपरोक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को विशेष आमंत्रि के रूप में बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित कर सकती है।

57. भारत सरकार के विभिन्न नवीनतम दिशा निर्देश जी0एफ0आर0/वस्तु और सेवाओं के लिए प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स/ GeM GTC को निम्नलिखित वेबसाइट पर देखा जा सकता है-

- a. GFR/ एवं अन्य निर्देश - <https://doe.gov.in/circulars>
- b. वस्तु और सेवाओं के लिए प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स - <https://doe.gov.in/manuals>
- c. GeM/GTC- <https://gem.gov.in/page/gtc>

58. यह समेकित शासनादेश जारी किए जाने की तिथि से जेम बिड पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस शासनादेश से पूर्व खुली जेम बिडो पर निर्णय संबंधित बिडों में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा पृथक रूप से दिशा-निर्देश निर्गत न होने की दशा में भारत सरकार के दिशा निर्देशों जी0एफ0आर0-2017/ वस्तु और सेवा प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स-2022/ जेम GTC (General Terms and Conditions) में हो रहे परिवर्तन प्रदेश में भी स्वतः एवं यथावत लागू होंगे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उ०प्र०।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7. सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग उ०प्र०, प्रयागराज।
9. सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सेवायोजन विभाग. लखनऊ।
11. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

अनुलग्नक "अ"

S.N.	GO Number	Date
1	12/2017/540/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	25-08-2017
2	13/2017/541/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	25-08-2017
3	14/2017/552/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	29-08-2017
4	18/2017/775/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	17-11-2017
5	19/2017/836/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	28-11-2017
6	20/2017/790/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	29-11-2017
7	21/2017/704/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	30-11-2017
8	23/2017/991/18-2-2017-97(ल०३०)/2016	26-12-2017
9	13/2018/203/18-2-2018-97(ल०३०)/2016	27-04-2018
10	23/2018/सी०एम०-20/18-2-2018-97(ल०३०)/2016	06-07-2018
11	24/2018/696/18-2-2018-97(ल०३०)/2016	18-07-2018
12	29/2018/757/18-2-2018-97(ल०३०)/2016	29-08-2018
13	30/2018/790/18-2-2018-97(ल०३०)/2016टी.सी.	31-08-2018
14	32/2018/सी०एम०-40/18-2-2018-97(ल०३०)/2016	27-09-2018
15	17/2019/सी०एम०-21/18-2-2018-97(ल०३०)/2016	09-07-2019
16	सी०एम०-02/18-2-2019-97(ल०३०)/2016	14-08-2019
17	331/18-2-2019-97(ल०३०)/2016	26-08-2019

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18	25/2019/527/18-2-2019-12(एस0पी0)/2010	06-12-2019
19	5/2020/148/18-2-2020-97(ल030)/2016	17-03-2020
20	7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/2012	19-03-2020
21	24/2020/279/18-2-2020-97(ल030)/2016	19-06-2020
22	31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016टी.सी.	25-08-2020
23	33/2020/482/18-2-2020-97(ल030)/2016	09-10-2020
24	40/2020/601/18-2-2020-97(ल030)/2016	26-11-2020
25	42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल030)/2016टी.सी.	07-12-2020
26	43/2020/632/18-2-2020-97(ल030)/2016	11-12-2020
27	3/2021/103/18-2-2021-97(ल030)/2016टी.सी.-1	19-02-2021
28	9/2021/224/18-2-2021-97(ल030)/2016	06-04-2021
29	17/2021/233/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0	31-05-2021
30	42/2021/491/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0	26-10-2021
31	1/2022/586/18-2-2021-97(ल030)/2016टी0सी0	03-01-2022
32	23/2022/165/18-2-2022-97(ल030)/2016टी0सी0	29-06-2022
33	52/2023/1264/18-2-2023-18-2099/418/2023	20-10-2023

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।